न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **36/2023** **GCMS 2023/69**

वादीगण :–

1. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. बिरदीचंद पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. राधाकिशन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति समस्त ब्राह्मण निवासी सरगोठ तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री भीकमचंद कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/12/2024

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम सरगोठ तहसील कुचामन सिटी सहदर में कृषि भूमि खसरा नंबर 163 रकबा 9.16 है. व ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामन के खसरा नंबर 302 रकबा 7.49 है. कुल खसरा 2 कुल रकबा 7.52 है. भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में वादीगण के पिता का नाम लिछमणराम है जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण है। उपरोक्त भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय वादीगण के पिता का नाम गलती से लिछमणराम दर्ज हो गया जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण है। उपरोक्त भूमि में` पिता का नाम लिक्षमणराम है जबकि वादीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाते में आदि में वादीगण पिता का नाम लक्ष्मीनारायण है। उपरोक्त भूमि में वादीगण के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण किया जाना अति आवश्यक है ताकि वादीगण को ऋण इत्यादि लेने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसलिए यह रिकॉर्ड दुरुस्ती का वाद लाना आवश्यक हुआ। वादीगण ने पटवारी हल्का का नाम के शुद्धि बाबत् कहा तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया और बताया कि ऐसा न्यायालय आदेश से ही होना संभव है। इस प्रकार यह वाद बामुकाम् ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना कुचामन)

सरगोठ/पदमपुरा में पैदा हुआ। ग्राम सरगोठ तहसील कुचामन सिटी सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 163 रकबा 9.16 है. व ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामन के खसरा सं. 301 रकबा 0.03 है. खसरा सं. 302 रकबा 7.49 है. कुल खसरा 2 कुल रकबा 7.52 है में वादीगण के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण शुद्धि दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

वादी द्वारा साक्ष्य के लिए रामस्वरूप व बिरदीचंद के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिप्रोर्ट के अनुसार वादीगण के पिता का वास्तविक नाम मौका जांच में लक्ष्मीनारायण सही होना पाया गया।

वकील वादी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 163 रकबा 9.16 हैक्टयर व ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 301 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 7.49 हैक्टयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 7.52 हैक्टयर में वादीगण के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण शुद्ध किये जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

ग्राम सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 163 रकबा 9.16 हैक्टयर व ग्राम पदमपुरा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 301 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 7.49 हैक्टयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 7.52 हैक्टयर में वादीगण के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक [illegible]2024 को सरे इंजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:09:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)